



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29102021-230811
CG-DL-E-29102021-230811

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4141]
No. 4141]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 29, 2021/कार्तिक 7, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 29, 2021/KARTIKA 7, 1943

रसायन और उर्वरक मंत्रालय
(रसायन और पेट्रोरसायन विभाग)
आदेश

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 2021

का.आ. 4500(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो के साथ परामर्श करने के पश्चात् यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, मैलाइक एनीड्राइड (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

- (1) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम मैलाइक एनीड्राइड (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2021 है।
- (2) यह राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
- मैलाइक एनीड्राइड (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 के पैरा 1 में, उप-पैरा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(2) यह आदेश शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से एक सौ अस्सी दिनों की समाप्ति पर प्रवृत्त होगा।

[फा. सं. पीसी-II 46016/6/2020- टेक.सीपीसी- भाग-(1)]

काशी नाथ झा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 4000 (अ) तारीख 4th नवम्बर, 2020 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात संख्यांक का.आ. 1693 (अ), तारीख 26 अप्रैल, 2021 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals and Petrochemicals)

ORDER

New Delhi, the 8th October, 2021

S.O. 4500(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary so to do in the public interest, hereby makes the following order to amend the Maleic Anhydride (Quality Control) Order, 2020, namely:-

1. (1) **Short title and commencement.**—(1) This order may be called the Maleic Anhydride (Quality Control) Amendment Order, 2021.

(2) It shall come in the force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Maleic Anhydride (Quality Control) Order, 2020, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

“(2) This order shall come into force on the expiry of one hundred and eighty days from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. PC-II 46016/ 6/2020-Tech.CPC - Part (1)]

KASHI NATH JHA, Jt. Secy.

Note: The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) vide notification number S.O. 4000 (E), dated the 4th November, 2020 and subsequently amended vide number SO. 1693(E) dated 26th April, 2021.

आदेश

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 2021

का.आ. 4501(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो के साथ परामर्श करने के पश्चात यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, एक्रिलोनिट्राइल (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. (1) **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम एक्रिलोनिट्राइल (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2021 है।

(2) यह राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. एक्रिलोनिट्राइल (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 के पैरा 1 में, उप-पैरा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(2) यह आदेश शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से एक सौ अस्सी दिनों की समाप्ति पर प्रवृत्त होगा।

[फा. सं. पीसी-II 46016/6/2020- टेक.सीपीसी- भाग-(1)]

काशी नाथ झा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3999 (अ) तारीख 4th नवम्बर, 2020 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात संख्यांक का.आ. 1692 (अ), तारीख 26 अप्रैल, 2021 द्वारा संशोधित किया गया था।

ORDER

New Delhi, the 8th October, 2021

S.O. 4501(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary so to do in the public interest, hereby makes the following order to amend the Acrylonitrile (Quality Control) Order, 2020, namely:-

1. (1) **Short title and commencement.**—(1) This order may be called the Acrylonitrile (Quality Control) Amendment Order, 2021.

(2) It shall come in the force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Acrylonitrile (Quality Control) Order, 2020, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

“(2) This order shall come into force on the expiry of one hundred and eighty days from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. PC-II 46016/ 6/2020-Tech.CPC - Part (1)]

KASHI NATH JHA, Jt. Secy.

Note: The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) vide notification number S.O. 3999 (E), dated the 4th November, 2020 and subsequently amended vide number S.O. 1692(E) dated 26th April, 2021.

आदेश

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 2021

का.आ. 4502(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो के साथ परामर्श करने के पश्चात यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, स्टीरीन (विनाइल बेंजीन) (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. (1) **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम स्टीरीन (विनाइल बेंजीन) (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2021 है।

(2) यह राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. स्टीरीन (विनाइल बेंजीन) (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 के पैरा 1 में, उप-पैरा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(2) यह आदेश शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से एक सौ अस्सी दिनों की समाप्ति पर प्रवृत्त होगा।

[फा. सं. पीसी-II 46016/6/2020- टेक.सीपीसी- भाग-(1)]

काशी नाथ झा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 4002 (अ) तारीख 4th नवम्बर, 2020 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात संख्यांक का.आ. 1695 (अ), तारीख 26 अप्रैल, 2021 द्वारा संशोधित किया गया था।

ORDER

New Delhi, the 8th October, 2021

S.O. 4502(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary so to do in the public interest, hereby makes the following order to amend the Styrene (Vinyl Benzene) (Quality Control) Order, 2020, namely:-

1. (1) **Short title and commencement.**—(1) This order may be called the Styrene (Vinyl Benzene) (Quality Control) Amendment Order, 2021.

(2) It shall come in the force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Styrene (Vinyl Benzene) (Quality Control) Order, 2020, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

“(2) This order shall come into force on the expiry of one hundred and eighty days from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. PC-II 46016/ 6/2020-Tech.CPC - Part (1)]

KASHI NATH JHA, Jt. Secy.

Note: The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) vide notification number S.O. 4002 (E), dated the 4th November, 2020 and subsequently amended vide number S.O. 1695(E) dated 26th April, 2021.